

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 अप्रैल 2016—चैत्र 24, शक 1938

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ-2(अ)88/2012/बी-4/दो :: मध्यप्रदेश होमगार्ड अधिनियम, 1947 (सन् 1947 का पन्द्रहवां) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, होमगार्ड स्वयंसेवियों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश होमगार्ड्स नियम, 2016 है।
(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम, 1947 (सन् 1947 का पन्द्रहवां) (पूर्व मध्य प्रांत एवं बरार अधिनियम, 1947);
- (ख) "प्रधान सेनानी" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रधान सेनानी और महानिदेशक होमगार्ड्स;
- (ग) "सेनानी" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया सेनानी होमगार्ड;
- (घ) "संभाग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश का राजस्व संभाग;
- (ङ) "संभागीय सेनानी" से अभिप्रेत है किसी राजस्व संभाग या उसके किसी भाग के लिए होमगार्ड सेनानी या किसी राजस्व संभाग या उसके किसी भाग के लिए होमगार्ड का मुख्य अधिकारी;
- (च) "जिला" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश का राजस्व जिला;
- (छ) "जिला सेनानी" से अभिप्रेत है किसी राजस्व जिले या उसके किसी भाग के लिए होमगार्ड सेनानी या किसी राजस्व जिले या उसके भाग का होमगार्ड का मुख्य अधिकारी;
- (ज) "जिला दण्डाधिकारी" से अभिप्रेत है किसी जिले के कार्यपालक प्रशासन से प्रभारित तथा दण्डाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने वाला ऐसे कार्यपालक प्रशासन से प्रभारित मुख्य अधिकारी चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो;

- (झ) "पुलिस" का वही अर्थ होगा, जो पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में उस शब्द के लिए समनुदेशित किया गया है;
- (ञ) "पुलिस अधीक्षक" का वही अर्थ होगा जो पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) में उस शब्द के लिए समनुदेशित किया गया है;
- (ट) "हड़ताल" से अभिप्रेत है, प्रशिक्षण अथवा होमगार्ड के रूप में सम्पूर्ण कर्तव्य पर रहते हुए, संयुक्त रूप से या सम्मिलित रीति में या सामूहिक समझ के अधीन पूर्णतः या भागतः कर्तव्यों का निर्वहन न किया जाना;
- (ठ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार।

3. होमगार्ड पर अधीक्षण.—

सम्पूर्ण राज्य में होमगार्ड का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा।

4. होमगार्ड के प्रधान सेनानी एवं महानिदेशक.—

पूरे राज्य में होमगार्ड का प्रशासन प्रधान सेनानी और महानिदेशक भांति के किसी अधिकारी तथा ऐसे महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त प्रधान सेनानी और अन्य अधिकारियों में निहित होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

5. महानिदेशक की शक्तियां.—

- (1) होमगार्ड अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन महानिदेशक को प्रशिक्षण, संचालन, परिचालन गतिविधियों, संगठन, अनुशासन एवं दण्ड, प्रशासन, वर्दी एवं साज सज्जा का माप दण्ड, कय, शस्त्र, गोला बारूद, उपकरणों एवं भण्डार के रखरखाव एवं विनियमन तथा होमगार्ड के समस्त कर्मियों एवं अधिकारियों पर समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा।
- (2) महानिदेशक को राज्य शासन के अनुमोदन से स्थायी आदेश जारी करने का अधिकार होगा।

6. स्वयंसेवी होमगार्डों का विभिन्न श्रेणियों में नामनिर्देशन.—

राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अध्यक्षीन रहते हुए, स्वयंसेवी अन्य श्रेणियों में निम्नलिखित रीति में नामनिर्देशित किया जा सकेगा :-

- (क) स्वयंसेवी कम्पनी कमांडर—महानिरीक्षक द्वारा;
- (ख) स्वयंसेवी प्लाटून कमांडर, स्वयंसेवी सहायक प्लाटून कमांडर—उप महानिरीक्षक एवं अतिरिक्त प्रधान सेनानी द्वारा;
- (ग) स्वयंसेवी नायक, स्वयंसेवी हवलदार—संभागीय सेनानी द्वारा;
- (घ) स्वयंसेवी सैनिक, स्वयंसेवी लांस नायक—जिला सेनानी द्वारा;

मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में प्रति कम्पनी होमगार्ड स्वयंसेवियों की कुल स्वीकृत संख्या 165 होगी। प्रति कम्पनी में स्वयंसेवियों की संख्या निम्नानुसार है :-

प्रति कम्पनी स्वयंसेवियों की निर्धारित संख्या के ब्यौरे

पदनाम	संख्या
नामनिर्देशित स्वयंसेवी कम्पनी कमाण्डर	01
नामनिर्देशित स्वयंसेवी प्लाटून कमाण्डर	05
नामनिर्देशित स्वयंसेवी सहायक प्लाटून कमाण्डर	05
नामनिर्देशित स्वयंसेवी कम्पनी हवलदार मेजर	01
नामनिर्देशित स्वयंसेवी कम्पनी क्वार्टर मास्टर	01
नामनिर्देशित स्वयंसेवी सेक्शन हवलदार	15
नामनिर्देशित स्वयंसेवी सेक्शन नायक/सेक्शन लांस नायक	15
होमगार्ड स्वयंसेवी	122
कुल	165

7. होमगार्ड स्वयंसेवियों का स्थानांतरण.—

- (1) किसी होमगार्ड स्वयंसेवी को उसके स्वयं के जिला रिजर्व से भिन्न जिला रिजर्व में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- (2) यदि कोई होमगार्ड स्वयंसेवी किसी अन्य जिले में नियुक्त होने की इच्छा रखता है, तो उसे अपने जिला रिजर्व से भार मुक्त होना होगा। तब वह अन्य जिले के होमगार्ड के जिला रिजर्व में नए सिरे से नामांकन के लिए आवेदन कर सकेगा:

परन्तु वह होमगार्ड स्वयंसेवी के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को अन्यथा पूर्ण करता हो।

8. होमगार्ड स्वयंसेवी के रूप में नामांकन.— कोई व्यक्ति होमगार्ड स्वयंसेवी के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा:

(क) जब तक कि उसने नामांकन के वर्ष की पहली अगस्त को 18 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो किन्तु 28 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो:

परन्तु यदि अम्यर्थी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य है, तो वह उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट का हकदार होगा:

परन्तु यह और कि कोई अम्यर्थी जो स्थाई शासकीय सेवक हो, उसने 38 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(ख) जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो तथा उसे उस जिले का रहवासी होना चाहिए जिसमें वह नामांकित होना चाहता है और उसे मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उसे इस आशय का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ग) जब तक कि उसने मध्यप्रदेश बोर्ड से या मध्यप्रदेश में स्थित ऐसे विद्यालय से जो केन्द्रीय बोर्ड से संबद्ध हो दसवीं स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो:

परन्तु अनुसूचित जनजाति का कोई अम्यर्थी यदि वह आठवीं कक्षा उत्तीर्ण है तो वह पात्र होगा।

(घ) यदि वह मध्यप्रदेश सरकार के विद्यमान निर्देशों के अनुसार अच्छे नैतिक आचरण वाला न हो:

परन्तु राज्य सरकार, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य के लिए पात्रता संबंधी शर्तों को शिथिल कर सकेगी तथा होमगार्ड ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी संख्या में जो कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, तदनुसार नामांकित किए जा सकेंगे। इस प्रकार नियुक्त होमगार्ड की पहचान को गुप्त रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

9. नामांकन के लिए शारीरिक तथा अन्य पात्रता की शर्तें.—

(क) आवेदक की ऊंचाई 168 सेन्टीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए न्यूनतम अपेक्षित ऊंचाई 160 सेन्टीमीटर होगी। महिला अम्यर्थियों की दशा में ऊंचाई 155 सेन्टीमीटर से कम नहीं होना चाहिए।

- (ख) पुरुष आवेदक की दशा में, सीना 05 सेन्टीमीटर फुलाव के साथ, 81 सेन्टीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी आवेदक को सीना कम से कम 5 सेन्टीमीटर फुलाव के साथ 78 सेन्टीमीटर से कम नहीं होना चाहिए।
- (ग) पुरुष अभ्यर्थियों के पैर न तो समतल (फ्लैट फुटेड) होना चाहिए और न ही घुटने मिले हुए (नोकनी) होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के पैर समतल (फ्लैट फुटेड) नहीं होने चाहिए।
- (घ) आवेदक कदाचरण के आधार पर पदच्युत लोकसेवक नहीं होना चाहिए।
- (ङ) आवेदक किसी जिला रिजर्व से कदाचरण के आधार पर उन्मोचित किया गया नहीं होना चाहिए।

10. होमगार्ड्स स्वयंसेवियों के नामांकन के लिए चयन समिति.-

होमगार्ड्स के नामांकन के लिए चयन समिति का गठन निम्नानुसार होगा :-

1. जिला दण्डाधिकारी या उसका प्रतिनिधि (जो - अध्यक्ष
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से निम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी न हो)
2. संभागीय कमांडेन्ट अथवा उसका समकक्ष या - सदस्य
महानिदेशक, होमगार्ड द्वारा नामनिर्देशित कोई वरिष्ठ अधिकारी ।
3. संबंधित जिले या किसी अन्य जिले का जिला - सदस्य सचिव
सेनानी, होमगार्ड या महानिदेशक, होमगार्ड द्वारा नामनिर्देशित उसका समकक्ष अधिकारी;
4. उस जिले या किसी अन्य जिले या क्षेत्र का - सदस्य
होमगार्ड का कम्पनी कमांडर या प्लाटून कमांडर

टिप्पणी- चयन समिति के सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होगा।

11. होमगार्ड में स्वयंसेवी के रूप में नामांकन के लिए चयन प्रक्रिया.-

- (1) प्रस्तावित नामांकन कार्यक्रम का राज्य स्तरीय दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करके पूरे जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
- (2) जिला सेनानी द्वारा प्राप्त समस्त आवेदनों की पात्रता शर्तों के अनुसार चयन समिति द्वारा छानबीन की जाएगी। पात्रता शर्तें पूरी न करने वाले आवेदन सरसरी तौर पर

अमान्य कर दिए जाएंगे तथा उसकी सूचना जिला सेनानी के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।

- (3) आवेदन के निरस्त होने के विरुद्ध अभ्यावेदन या अपील ऐसे सक्षम अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएगी जो महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट, उप महानिरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो।
- (4) पात्र पाए गए आवेदकों को इस विषय पर स्थाई आदेश के अनुसार चयन समिति द्वारा संचालित की जाने वाली पूर्व नामांकन परीक्षा से होकर गुजरना होगा।
- (5) चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर परिणाम, स्थाई आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से घोषित किया जाएगा।

12. चिकित्सीय परीक्षण.—

होमगार्ड सेनानी, पूर्व नामांकन परीक्षा में सफल आवेदकों का जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराएगा। चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त घोषित आवेदक नामांकन के लिए अपात्र होंगे।

13. चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापन.—

जिला सेनानी सफल अभ्यर्थियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त फार्म को आवश्यक चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापन के लिए संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को भेजेगा। पुलिस अधीक्षक से प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट वाले आवेदक नामांकन के लिए अपात्र होंगे।

14. नामांकन का प्रमाणपत्र.—

- (1) स्वयंसेवी होमगार्ड को, नामांकन के समय इन नियमों से संलग्न प्ररूप (परिशिष्ट—क) में एक नामांकन प्रमाणपत्र नियुक्ति अधिकारी की मुद्रा तथा हस्ताक्षर के साथ दिया जाएगा।
- (2) यह प्रमाणपत्र स्वयंसेवी होमगार्ड द्वारा उसके कर्तव्य या प्रशिक्षण के समय स्थायी रूप से रखा जाएगा।
- (3) उन्मोचन के समय ऐसा प्रमाणपत्र स्वयंसेवी होमगार्ड द्वारा जिला सेनानी को अभ्यर्पित किया जाएगा।
- (4) नामांकन प्रमाणपत्र के खो जाने पर या क्षतिग्रस्त होने पर, इस विषय में स्थाई आदेश के अध्यक्षीन रहते हुए उसे प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी की जा सकेगी।

15. प्रतिज्ञा.—

चयन समिति द्वारा चयनित कोई आवेदक, इन नियमों से संलग्न प्रतिज्ञा के प्ररूप (परिशिष्ट—ख) में अवधारित किए गए अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेगा।

16. त्यागपत्र.—

- (1) कोई स्वयंसेवी होमगार्ड जिला रिजर्व में उसकी अवधि के पूर्ण होने के पूर्व इन नियमों से संलग्न प्ररूप (परिशिष्ट—ग) में जिला सेनानी को सम्बोधित लिखित में आवेदन द्वारा तीस दिन से अनधिक की पूर्व सूचना के साथ उसके स्वयंसेवी होमगार्ड या स्वयंसेवी अधिकारी की हैसियत से त्यागपत्र दे सकेगा :

परन्तु ऐसा त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यथास्थिति, यह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता और इस आशय की सूचना आवेदक को नहीं दे दी जाती।

- (2) जिला सेनानी त्यागपत्र को अपनी टीप के साथ नियुक्ति प्राधिकारी के ठीक वरिष्ठ अधिकारी को अग्रेषित करेगा।
- (3) जिला सेनानी की पूर्व स्वीकृति के बिना कर्तव्य पर उपस्थित न होने को या इस आधार पर कर्तव्य पर उपस्थित होने में असमर्थ रहने की सूचना देने को कि त्यागपत्र दे दिया गया है, कर्तव्य से अनुपस्थिति माना जाएगा।

17. होमगार्ड स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण.—**(क) स्वयंसेवी होमगार्डों का बुनियादी प्रशिक्षण:—**

- (1) प्रत्येक स्वयंसेवी होमगार्ड उसके नामांकन के शीघ्र पश्चात् 90 कार्य दिवस की किसी अवधि के लिए व्यक्तियों तथा संपत्तियों की सुरक्षा, अपराधों की रोकथाम, लोक व्यवस्था संधारण, अग्निशमन और नागरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों में और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करेगा:—

- | | |
|-------|---|
| (एक) | शारीरिक प्रशिक्षण और परेड; |
| (दो) | निरायुध संधर्ष; |
| (तीन) | शस्त्र प्रशिक्षण और निशानेबाजी का अभ्यास; |
| (चार) | सार्वजनिक व्यवस्था तथा भीड़ नियंत्रण; |

(पांच)	नक्शों संबंधी पढ़ाई;
(छह)	कानून और दण्ड प्रक्रिया सहित आपराधिक न्याय प्रणाली;
(सात)	मानव अधिकार;
(आठ)	आपदा प्रबंधन (प्राकृतिक एवं मानव निर्मित), नागरिक सुरक्षा तथा अग्निशमन;
(नौ)	होमगार्ड के कर्तव्य तथा शक्तियां;
(दस)	सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण तथा उनके प्रयोग;
(ग्यारह)	संदेश लेखन;
(बारह)	गार्ड के कर्तव्य;
(तेरह)	यातायात नियंत्रण;
(चौदह)	फील्ड काफ्ट तथा रणनीति;
(पंद्रह)	प्राथमिक उपचार;
(सोलह)	बचाव एवं बाढ़ राहत; तथा
(सत्रह)	कोई अन्य विषय जो कि समय-समय पर विहित किए जाएं।

(ख) रिफ्रेशर प्रशिक्षण :-

प्रत्येक स्वयंसेवी होमगार्ड को महानिदेशक द्वारा जारी इस विषय से संबंधित स्थायी आदेश के अनुरूप 30 कार्य दिवस का रिफ्रेशर कोर्स करना अनिवार्य होगा।

(ग) एडवांस प्रशिक्षण (अग्रिम प्रशिक्षण):-

नामांकित सहायक प्लाटून कमाण्डर और उससे ऊपर की रैंक के स्वयंसेवी होमगार्ड हेतु 30 कार्य दिवस एडवांस कोर्स (अग्रिम प्रशिक्षण) चलाया जावेगा, जिसमें व्याख्यान और मैदानी कार्यों से संबंधित निम्न विषय शामिल होंगे—

- (1) संगठन और मानव संसाधन प्रबंधन।
- (2) नागरिक सुरक्षा के उपाय।
- (3) आपातकालीन राहत कार्य।
- (4) नक्शों एवं स्वचलित हथियार का ज्ञान।
- (5) युद्ध कौशल एवं युक्तियां।
- (6) सूचना प्रौद्योगिकी के टूल एवं उनके उपयोग की जानकारी।
- (7) संदेश लेखन एवं
- (8) महानिदेशक द्वारा निर्धारित अन्य विषय

(घ) नेतृत्व प्रशिक्षण :-

सहायक प्लाटून कमांडर और उससे उच्च श्रेणी के अधिकारी, स्वयं को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए तैयार करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे।

टिप्पण:- बुनियादी, रिफ्रेशर, उन्नत तथा नेतृत्व प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम तथा अवधि स्थाई आदेश के अनुसार होगी।

18. होमगार्ड स्वयंसेवी जिला रिजर्व:-

- (1) प्रत्येक जिले में होमगार्ड स्वयंसेवी जिला रिजर्व बल के रूप में होंगे। जिला रिजर्व इतनी कम्पनियां अथवा स्वयंसेवी होमगार्ड सैनिकों और स्वयंसेवी अधिकारियों तथा स्थायी अधिकारियों एवं कर्मचारिवृंद से मिलकर बनेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए।

राज्य के होमगार्ड रिजर्व में जिलावार स्वीकृत बल की वर्तमान संरचना इन नियमों से संलग्न है। (परिशिष्ट-घ)

- (2) किसी कम्पनी कमांडर के नेतृत्व में जिला रिजर्व की प्रत्येक कम्पनी 165 स्वयंसेवी होमगार्ड सैनिकों से मिलकर बनेगी जो कि तीन प्लाटूनों में विभक्त होगी, प्रत्येक का नेतृत्व एक प्लाटून कमांडर द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक प्लाटून तीन अथवा अधिक अनुभागों से मिलकर बनेगी। प्रत्येक का नेतृत्व सहायक प्लाटून कमांडर की श्रेणी के अनुभाग कमांडर द्वारा किया जाएगा।
- (3) जिला होमगार्ड रिजर्व के सभी सदस्यों के प्रशासन, प्रशिक्षण, अनुशासन तथा कल्याण के प्रयोजन के लिए जिला सेनानी की सहायता ऐसी संस्था में अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाएगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

19. वर्दी तथा साजसज्जा:-

- (1) होमगार्ड के समस्त अधिकारियों तथा स्वयंसेवियों को अपने कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान उपयोग किए जाने के लिए वर्दी तथा साज सज्जा राज्य के व्यय पर प्रदाय की जाएगी। वे उनकी श्रेणी के अनुसार उपबंधित बैज भी पहनेंगे। वर्तमान में प्रदाय किए जा रहे वर्दी तथा साज सज्जा की विशिष्ट वस्तुओं के ब्यौरे इन नियमों से संलग्न हैं। (परिशिष्ट-ड)
- (2) स्वयंसेवी होमगार्ड के सदस्य उनके कंधे की पट्टी पर म.प्र.नं.से. के अक्षर धारण करेंगे तथा अधिकारी अतिरिक्त रूप से उस श्रेणी के बैज धारण करेंगे जो कि राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। (परिशिष्ट-च)

20. शस्त्र तथा गोला बारुद.—

होमगार्ड के अधिकारी तथा स्वयंसेवी प्रशिक्षण तथा कर्तव्य के संचालन के दौरान ऐसी रीति में छोटे शस्त्रों को, जैसे राइफल और सर्विस रिवोल्वर तथा गोला बारुद उपयोग करने तथा रखने के हकदार होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

21. होमगार्ड को सहायता के लिए बुलाया जाना.—

(1) जिला दण्डाधिकारी निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए जिला रिजर्व से होमगार्ड स्वयंसेवकों को बुलाने के लिए अधिकृत होगा :—

प्राकृतिक आपदाओं या असामाजिक तत्वों से जानमाल की सुरक्षा, आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने, अशांत स्थितियों के दमन, यातायात एवं जनसभाओं के नियंत्रण तथा विनियमन, अपराधों की रोकथाम, पुलिस तथा सेना प्राधिकारियों की सहायता के लिए राष्ट्रीय हित में सुरक्षा अथवा कल्याण के सामान्य उपाय;

(2) इस प्रकार आधिकारिक रूप से सहायता के लिए बुलाए गए स्वयंसेवी होमगार्डों की कुल संख्या जिला रिजर्व की अधिकृत संख्या के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। केवल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही 100 प्रतिशत तक बुलाया जा सकेगा।

(3) महानिदेशक या होमगार्ड का ऐसा अधिकारी जो कि उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए राज्य के किसी क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण, प्रशासनिक, गोला बारुदों की सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, प्राकृतिक एवं मानवनिर्मित आपदाओं तथा लोक कल्याण एवं हित के सामान्य उपायों से संबंधित किसी कर्तव्य के निष्पादन के लिए होमगार्ड को बुलाने हेतु आदेश दे सकेगा।

22. होमगार्ड के कर्तव्य.—

नियम 21 के अधीन आधिकारिक रूप से सहायता के लिए बुलाए गए स्वयंसेवी होमगार्ड नीचे उल्लिखित किसी अथवा सभी कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी होंगे,—

- (1) पुलिस को यातायात प्रबंधन में सहायता करना;
- (2) गश्त तथा रात्रि गश्त करना;
- (3) भीड़ नियंत्रण में पुलिस की सहायता करना;
- (4) पुलिस को सूचना तथा आसूचना में सहायता करना;

- (5) समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा तथा साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए प्रशासन को सहायता देना;
- (6) अफवाहों, भगदड़ (संत्रास) को कम करना तथा संगठित बचाव कार्य तथा किसी प्रकार के आपात जैसे अग्नि, हवाई हमला, बाढ़, महामारी, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं; और
- (7) राज्य सरकार द्वारा यथा निदेशित कोई भी अन्य कर्तव्य तथा दायित्वों का निर्वहन करना।

23. अनुशासन.—

- (क) होमगार्ड स्वयंसेवक ऐसे सभी कर्तव्यों तथा कार्यों का निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे जैसा कि उन्हें निर्दिष्ट किया जाए तथा समस्त विधिसम्मत आदेशों का पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ पालन करेंगे।
- (ख) होमगार्ड के समस्त अधिकारी तथा कार्मिक अपने को सदैव अनुशासित, समान रूप से संगठन की भांति आचरण करेंगे।
- (ग) अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अशिष्टता से कार्य नहीं करेगा एवंऐसा कुछ नहीं करेगा जो अनुशासनहीनता का द्योतक हो।
- (घ) होमगार्ड स्वयंसेवक किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में न तो मत याचना करेगा न अन्यथा हस्तक्षेप करेगा न अपने प्रभाव का उपयोग करेगा और न उसमें भाग लेगा।
- (ङ) होमगार्ड स्वयंसेवक किसी राजनैतिक दल या किसी संगठन का जो राजनीति में भाग लेता हो न तो सदस्य होगा न किसी राजनैतिक आंदोलन या कार्यकलाप में भाग लेगा।
- (च) यदि वह कानून के उल्लंघन का ऐसा कोई कृत्य करता है जो किसी संज्ञेय अथवा असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है तो वह 48 घंटे के अन्दर इसकी सूचना अपने जिला सेनानी को देगा। सूचना न दिए जाने की स्थिति में वह होमगार्ड जिला रिजर्व से सेवामुक्त किए जाने का दायी होगा।
- (छ) कर्तव्य से बिना किसी समुचित कारण के अनुपस्थित नहीं रहेगा।
- (ज) कर्तव्य अथवा प्रशिक्षण के समय पररूप धारण कर शामिल नहीं होगा।
- (झ) अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी मादक पेय अथवा औषधि का सेवन नहीं करेगा न उसके प्रभाव में रहेगा। नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थान में

उपस्थित नहीं होगा। किसी क्षेत्र में जहां वह हो कुछ समय के लिए भी मादक पेय एवं औषधियों से संबंधित प्रवृत्त विधि का दृढ़तापूर्वक पालन करेगा।

- (अ) अपने प्रचार के अधीन सम्पत्ति गोलाबारुद किट क्लोपिंग एवं स्टोर के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा।
- (ट) उसे प्रदत्त की गई सम्पत्ति, हथियारों तथा वर्दी का दुरुपयोग नहीं करेगा। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सामान्य तथा विशेष विधिसम्मत आदेशों के प्रति निष्ठा रखेगा तथा जानबूझकर अवज्ञा नहीं करेगा।
- (ठ) उसकी अभिरक्षा तथा सुरक्षा में दी गई संपत्ति का गबन नहीं करेगा तथा इसका दुष्प्रेरण भी नहीं करेगा।

24. दण्ड.—

कदाचरण तथा अनुशासनहीनता के कृत्यों के लिए होमगार्ड स्वयंसेवकों पर निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किए जा सकेंगे :-

- (क) (1) धिगदंड;
(2) परिनिंदा;
(3) 03 दिन से अनधिक अतिरिक्त कवायद अथवा श्रमजनित थकावट का कार्य कराना;
(4) निलंबन;
(5) जिला रिजर्व से निर्धारित समय पूर्व सेवामुक्त करना।
- (ख) तीन दिवस के मानदेय से अनधिक अर्थदण्ड
- (ग) रैंक में अवनति
- (घ) 28 दिन से अनधिक अतिरिक्त कवायद, गार्ड ड्यूटी, श्रम जनित थकावट के कार्य कराना।

25. दण्डित करने की शक्तियां.—

- (क) जिला सेनानी.— जिला सेनानी लांस नायक व स्वयंसेवी होमगार्ड सैनिक की पद श्रेणी तक के लिए अनुशासनहीनता के कृत्य के लिए अर्दली रूम की प्रक्रिया को अपनाएगा तथा सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् नियम 24 (क) में उल्लिखित कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

- (ख) **संभागीय सेनानी.**— संभागीय सेनानी/स्वयंसेवी से स्वयंसेवी हवलदार या नायक या उससे कम पद श्रेणी के स्वयंसेवी के संबंध में, नियम 24 (क) तथा 24 (ख) में यथाउल्लिखित अनुशासनहीनता के कृत्य के लिए शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम होगा।
- (ग) **उप महानिरीक्षक/अतिरिक्त प्रधान सेनानी.**— उप महानिरीक्षक/अतिरिक्त प्रधान सेनानी प्लाटून कमाण्डर या उससे कम पद श्रेणी के स्वयंसेवी तक को नियम 24 (क), 24 (ख) तथा 24 (ग) में यथा सूचीबद्ध अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य के लिए कोई शास्ति अधिरोपित करने हेतु सक्षम होंगे।
- (घ) **महानिरीक्षक.**— महानिरीक्षक कम्पनी कमाण्डर या उससे कम पद श्रेणी तक के स्वयंसेवी को नियम 24 (क), 24 (ख) तथा 24 (ग) तथा 24 (घ) में यथासूचीबद्ध अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य के लिए शास्ति अधिरोपित करने हेतु सक्षम होगा: परंतु यह कि
- (1) अतिरिक्त श्रमजनित (फटींग) अतिरिक्त परेड अथवा दण्ड स्वरूप कार्य से संबंधित दण्ड के निष्पादन की दशा में, अपचारी की शारीरिक क्षमता का ध्यान रखा जाएगा।
 - (2) कोई शास्ति अधिरोपित करने की दशा में विद्यमान निदेशों में अभिकथित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
 - (3) दण्डादेश की प्रति ठीक वरिष्ठ अधिकारी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को भी पृष्ठांकित की जाएगी।

26. अपील.—

- (1) सजा के प्रत्येक आदेश के विरुद्ध, ऐसे आदेश पारित करने वाले अधिकारी से ठीक वरिष्ठ अधिकारी को अपील की जा सकेगी।
- (2) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध केवल एक अपील ग्राह्य होगी। तथापि ऐसे आदेशों के विरुद्ध महानिदेशक को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा सकेगी।
- (3) महानिदेशक अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का स्वप्रेरणा से भी पुनरीक्षण कर सकेगा।

- (4) महानिदेशक द्वारा उसे ऐसा करने हेतु विशेष रूप से अधिकृत किए जाने पर अतिरिक्त महानिदेशक भी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।
- (5) दण्डादेश की सूचना प्रदान किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।
- (6) अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश संसूचित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा सकेगी।
- (7) परिसीमा अवधि 30 दिन के पश्चात् प्रस्तुत कोई अपील या पुनरीक्षण याचिका तब तक ग्राह्य नहीं की जाएगी, जब तक कि यह बताने का युक्तियुक्त एवं पर्याप्त आधार न हो कि विहित समय अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत कर पाना याचिकाकर्ता की सामान्य क्षमता से परे था।

27. सेवा की शर्तें.-

(1) नामांकन की अवधि:-

- (क) प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर, स्वयंसेवी होमगार्ड छह माह की कालावधि के लिए होमगार्ड के रूप में सेवा करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा 12 माह से अनधिक की कुल कालावधि तक बढ़ाया जा सकेगा यदि राज्य सरकार ऐसे विस्तार आवश्यक समझे तथा उसके पश्चात् तीन वर्ष की कालावधि के लिए रिजर्व में सेवा करेगा, और रिजर्व के दौरान किसी भी समय कर्तव्य पर बुलाए जाने के दायित्वाधीन होगा।
- (ख) एक स्वयंसेवी होमगार्ड अपने नामांकन की प्रारंभिक अवधि के पूर्ण होने पर अपने नामांकन के विस्तार के पूर्व संतोषजनक आचरण, चरित्र सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण, शारीरिक क्षमता तथा इच्छा के अध्यधीन रहते हुए समय-समय पर महानिदेशक द्वारा संभागीय सेनानी से अनिम्न श्रेणी के नामनिर्देशित अधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला समीक्षा समिति की अनुशंसा पर अपने नामांकन के विस्तार का पात्र होगा। सेवा विस्तार 41 वर्ष की आयु तक अनुज्ञात किया जाएगा।
- (ग) स्वयंसेवी होमगार्ड वर्ष में 10 माह आहूत कर्तव्य (काल आउट ड्यूटी) पर रहेगा। जिला रिजर्व पर नामांकित प्रत्येक स्वयंसेवी होमगार्ड को आहूत कर्तव्य (काल आउट ड्यूटी) पर बुलाये जाने का समान अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु युक्तियुक्त रोस्टर तैयार किया जाएगा तथा

प्रकाशित किया जाएगा और मांगे जाने पर स्वयंसेवियों को इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) स्वयंसेवी होमगार्ड का सेवामुक्त किया जाना:—

स्वयंसेवी होमगार्ड निम्नलिखित परिस्थितियों में कार्यमुक्त किए जाने के दायित्वाधीन होगा—

- (क) जिला होमगार्ड रिजर्व में, नियमित रहने की, उसकी अनिच्छा के कारण;
- (ख) बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण होने पर एक अतिरिक्त अवसर देने के पश्चात् भी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने पर;
- (ग) अनुपयुक्त या शारीरिक रूप से अयोग्य पाए जाने पर;
- (घ) 41 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर;
- (ङ) सेवामुक्त करने की शास्ति अधिरोपित होने पर;
- (च) आपराधिक प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर अथवा 48 घन्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध रहने पर;

सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त परिस्थितियों में परिशिष्ट-छ में दिए गए प्ररूप में सेवामुक्त करने का आदेश जारी करेगा।

(3) तैनाती:—

राज्य सरकार द्वारा जारी किसी विशेष आदेश द्वारा नियम 21 के अधीन कर्तव्य के लिए बुलाए गए स्वयंसेवी होमगार्ड मध्यप्रदेश में किसी भी स्थान पर, अथवा देश में या बाहर कहीं भी और विदेश में भी तैनात किए जाने के दायित्वाधीन होगा। विदेश में तैनाती सामान्यतया संबंधित स्वयंसेवी होमगार्ड की सहमति से की जाएगी।

(4) भत्ते:—

आहूत कर्तव्य (काल आउट ड्यूटी) अथवा प्रशिक्षण पर रहते हुए होमगार्ड शासन द्वारा, समय-समय पर, यथानियत मानदेय तथा अन्य भत्ते प्राप्त करेगा।

(5) नामांकन अविध में अन्य नियोजन पर प्रतिबंध:-

- (क) स्वयंसेवी होमगार्ड जब आहूत कर्तव्य (काल आऊट ड्यूटी) या प्रशिक्षण पर रहते हुए स्वयं को किसी अन्य नियोजन में नहीं लगाएगा।
- (ख) किसी स्वयंसेवी होमगार्ड को, जब वह कर्तव्य अथवा प्रशिक्षण पर न हो, जिला सेनानी को सूचना के अधीन स्वयं को किसी कार्य या उप-व्यवसाय में लगाने की स्वतंत्रता होगी:

परन्तु

- (एक) कोई भी ऐसा रोजगार या उप-व्यवसाय अंशकालीन अथवा पूर्णकालीन स्वीकार नहीं करेगा जिसको करने से विभाग के हितों का टकराव होता हो।
- (दो) वह स्वयं ऐसे किसी भी रोजगार अथवा उप-व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा जो जिला होमगार्ड रिजर्व के सदस्य के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप न हो।

28. अन्य नौकरियों हेतु नियोजन के लिए स्वयंसेवी होमगार्ड द्वारा आवेदन.-

अपने जिला सेनानी को सूचित करने के अधीन रहते हुए, स्वयंसेवी होमगार्ड किसी भी अन्य विभाग अथवा चयन निकाय में किसी पद के लिए अपने चयन हेतु आवेदन कर सकेगा। चयनित होने की स्थिति में, वह नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि सहित अपने जिला सेनानी को सूचना देगा। वह नियम-16 के अनुसार, 30 दिवस की सूचना सहित अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा तथापि, स्वयंसेवी होमगार्ड की प्रार्थना पर, युक्तियुक्त आधार पर, जिला सेनानी उक्त 30 दिवस की सूचना अवधि को शिथिल कर सकेगा।

29. स्वयंसेवी होमगार्ड तथा अधिकारियों की अन्य विभागों में अस्थायी विशेष ड्यूटी.-

- (क) स्वयंसेवी होमगार्ड तथा स्वयंसेवी अधिकारी राज्य सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के अन्य विभागों में उनकी मांग के आधार पर तैनात किए जा सकेंगे।
- (ख) होमगार्ड की सेवा प्राप्त करने वाला विभाग, उन होमगार्ड को आस्थगत संदाय या हकों की प्रतिपूर्ति करने की दृष्टि से होमगार्ड को देय सभी भत्तों की 150 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

- (ग) दूसरे विभाग में तैनाती की अवधि के दौरान स्वयंसेवी या अधिकारी घायल होता है या मृत्यु होती है तो वह सेवा प्राप्त करने वाला विभाग विस्तृत आदेशों के अनुसार मृत्युसह क्षति अभिलाभों के संबंध में भुगतान करने का दायी होगा।
- (घ) होमगार्ड की तैनाती के बदले में, अन्य विभागों से प्राप्त राशि में से 10 प्रतिशत राशि होमगार्ड के केन्द्रीय कल्याण कोष में जमा की जाएगी।
- (ङ) पात्रता मापदण्डों को पूरा करने के अध्यक्षीन रहते हुए, स्वयंसेवी होमगार्ड को राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के अन्य विभागों में अस्थाई विशेष कर्तव्य पर तैनात किया जा सकेगा।
- (च) चयनित होने की दशा में अतिरिक्त आवेदक अधिकारी साध्यता के अनुसार महानिदेशक राज्य सरकार को प्रतिनियुक्ति के लिए अपनी टीप सहित आवेदन की अनुशंसा कर सकेगा।
- (छ) अस्थाई विशेष ड्यूटी की अवधि तथा निर्बंधन, इस विषय में राज्य सरकार के विस्तृत अनुदेशों द्वारा विनियमित किए जाएंगे।

30. प्रमाण पत्र तथा अन्य सामग्री का समर्पण.—

- (क) नामांकन प्रमाण पत्र निष्प्रभावी हो जाएगा जब वह व्यक्ति जिसका नाम उसमें अंकित है, स्वयंसेवी होमगार्ड न रहे। होमगार्ड जिला रिजर्व का सदस्य न रहने पर होमगार्ड ऐसी समाप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर जिला सैनानी को अपने नामांकन का प्रमाण पत्र समर्पित करेगा।
- (ख) सेवामुक्ति से पूर्व स्वयंसेवी होमगार्ड वर्दी उपकरण, हथियार तथा गोला बारुद, साजसज्जा की समस्त सामग्री तथा उसके कब्जे में होमगार्ड की अन्य सम्पत्ति, यदि कोई हो, अच्छी हालत में वापस सौंपेगा।
- (ग) इन नियमों के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना, उसको देय धन से वसूला जाएगा, किन्तु यदि संभव न हो तो, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगा।

31. निरसन एवं व्यावृत्ति.—

- (1) मध्यप्रांत एवं बरार होमगार्ड नियम, 1947 (मध्यप्रदेश एडेपटेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1956 द्वारा अंगीकृत) एतद्वारा, निरसित किए जाते हैं:

परंतु ऐसे निरसन से,—

- (क) इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व की गई किसी बात या कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा;
- (ख) किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इन नियमों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत हुए हों।
- (2) इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई या जारी किए गए आदेश आदि के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई या जारी किया गया आदेश है।

परिशिष्ट-क

नामांकन प्रमाण पत्र

(देखिये नियम 14 (क))

नाम

पिता/पति का नाम

श्रेणी.....

निवास स्थान का पता

.....

.....

को मध्यप्रदेश होमगार्ड अधिनियम, 1947 (1947 का 15वा) की धारा 6 की उपधारा (3) के अंतर्गत होमगार्ड का अधिकारी/सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। विधि अनुसार कर्तव्य पर होने के दौरान, उसे पुलिस बल का सदस्य माना जाएगा और उसे वही शक्तियां, संरक्षण तथा विशेषाधिकार होंगे और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियुक्त किए गए किसी पुलिस अधिकारी के दायित्वों के अधीन होगा।

नामांकन की तारीख

वैद्यता: दिनांक से दिनांक तक

स्थान _____

तारीख _____

नियुक्तकर्ता प्राधिकारी

पदमुद्रा

परिशिष्ट- ख

शपथ

(देखिये नियम 15)

मैं, आत्मज / आत्मजा / पत्नी
 सत्यनिष्ठा से शपथ लेता / लेती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा
 एवं आस्था रखूंगा / रखूंगी और यह कि मैं होमगार्ड में अपने कतव्यों का निर्वहन
 पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक करूंगा / करूंगी तथा शासकीय कर्तव्यों के
 निर्वहन हेतु जहाँ भी आदेश होगा मैं जाऊंगा / जाऊंगी तथा सक्षम अधिकारी के
 सभी विधि सम्मत आदेशों का पालन अपनी जान जोखिम में डालकर भी करने
 हेतु तत्पर रहूंगा / रहूंगी।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

नाम

पद

दिनांक

स्थान

मेरे सामने विधिवत पुष्टि की गई।

दिनांक.....

अभिप्रमाणन अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर

पदनाम

परिशिष्ट-गत्याग-पत्र

(देखिये नियम 16 (क))

मैं (नाम)क्रमांक.....पद

मध्यप्रदेश होमगार्डस् अधिनियम 1947 (1947 का पन्द्रहवाँ) की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन होमगार्ड केजिला रिजर्व में दिनांक को स्वयंसेवी के रूप में नामांकित किया गया था। मैं व्यक्तिगत कारणों से, अपनी सेवाएं होमगार्ड संगठन में जारी नहीं रखना चाहता हूं और इस सूचना अर्थात् दिनांक (दिन/माह/वर्ष) से प्रभावी, से दिवस (30 दिवस से कम नहीं) के अवसान होने पर संगठन से सेवामुक्त प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें।

दिनांक:-

.....
(होमगार्ड का नाम तथा हस्ताक्षर)

क्रमांक

पद

जिला

**मध्यप्रदेश होमगार्ड स्वयंसेवी के जिलेवार स्वीकृत पद
(देखिए नियम 18 (1))**

अनु. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	कंपनी की संख्या (3)	पदों की संख्या (4)
1.	जबलपुर	4	665
2.	कटनी	1	165
3.	सिवनी	2	325
4.	छिंदवाड़ा	2	325
5.	बालाघाट	2	335
6.	नरसिंहपुर	2	325
7.	मण्डला	1	175
8.	झिण्डोरी	1	165
9.	भोपाल	5	815
10.	सीहोर	3	485
11.	रायसेन	2	325
12.	विदिशा	2	325
13.	बैतूल	2	325
14.	होशंगाबाद	2	325
15.	राजगढ़	2	325
16.	हरदा	1	165
17.	इंदौर	4	645
18.	धार	2	325
19.	झाबुआ	1	160
20.	अलीराजपुर	1	165
21.	खण्डवा	1	160
22.	बुरहानपुर	1	165
23.	खरगोन	1	165
24.	बड़वानी	1	165
25.	उज्जैन	4	650
26.	देवास	2	325
30.	मंदसौर	1	165
28.	रतलाम	3	485
29.	नीमच	1	165
27.	शाजापुर	2	325
	आगर		
31.	ग्वालियर	4	645
32.	शिवपुरी	2	325
33.	गुना	2	320

(1)	(2)	(3)	(4)
34.	दतिया	2	325
35.	भिण्ड	2	325
36.	मुरैना	1	165
37.	शयोपुर	1	165
38.	अशोकनगर	1	165
39.	रीवा	3	485
40.	सतना	3	485
41.	सीधी	2	320
42.	सिंगरौली	1	165
43.	शहडोल	1	165
44.	उमरिया	1	165
45.	अनूपपुर	1	160
46.	सागर	3	485
47.	टीकमगढ़	2	325
48.	दमोह	2	325
49.	छतरपुर	2	325
50.	पन्ना	2	325
	योग	97	15800

सारांश

मध्यप्रदेश होमगार्ड की स्वीकृत कंपनी	97
मध्यप्रदेश होमगार्ड का स्वीकृत बल	15800
मध्यप्रदेश होमगार्ड गोपनीय सैनिक	205
मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी-अनुभाग) विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ. 19-12/2012/दो/सी-2 भोपाल दिनांक 21-11-12 के द्वारा जिला बालाघाट के लिए 300 गोपनीयसैनिकों के पद स्वीकृत किए गये हैं।	300
मध्यप्रदेश होमगार्ड कुल योग	16305

परिशिष्ट-ड

वर्दी सामग्री
(देखिए नियम 19 (1))

अनु.क.	सामग्री का नाम	सामग्री की इकाई	सामग्री की जीवन अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	फिट बाक्स	1 नग	8 साल
2.	शर्ट खाकी टेरीकोट/कपड़ा	2 जोड़	1 साल
3.	पेन्ट खाकी टेरीकोट/कपड़ा	2 जोड़	1 साल
4.	शर्ट खाकी कॉटन	1 जोड़	2 साल
5.	पेन्ट खाकी कॉटन	1 जोड़	2 साल
6.	बूट ऐन्कल काला	1 जोड़	2 साल
7.	कन्धा बैज	1 जोड़	5 साल
8.	केप बैज	1नग	5 साल
9.	केप बैरेट	1 नग	1 साल
10.	व्हीसिल	1नग	5 साल
11.	लेनयार्ड	1नग	1 साल
12.	सेरिमोनियल	1नग	2 साल
13.	हॉफ शू काला	1 जोड़	1 साल
14.	पीपीटी शू	1 जोड़	4 माह
15.	शू ब्रश	1नग	6 माह
16.	शू पॉलिश	2 नग	3 माह
17.	हन्टर शू	1 जोड़	9 माह
18.	मौजे खाकी	2 जोड़	4 माह
19.	मच्छरदानी	1 नग	4 साल
20.	दरी	1 नग	3 साल
21.	कम्बल	2 नग	5 साल
22.	हॉफ पेन्ट खाकी	1 नग	2 साल
23.	वूलन जर्सी खाकी	1 नग	5 साल
24.	अंगोला शर्ट	1 नग	3 साल
25.	ग्रेट कोट	1 नग	5 साल
26.	बरसाती टोपी सहित	1 नग	3 साल
27.	केन	1 नग	5 साल
28.	टिफिन	1 नग	5 साल
29.	एंकलेट वेब	1 जोड़	3 साल
30.	लेदर बेल्ट	1 नग	6 साल
31.	रेंक बैज	प्रचलित निर्देशो के अनुरूप	
32.	कोट ब्लेजर	1 नग	3 साल

महिला होमगार्ड			
अनु.क्र०	सामग्री का नाम	सामग्री की इकाई	सामग्री की जीवन अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शर्ट खाकी टेरीकॉट/कपड़ा	1 नग	1 साल
2.	पेन्ट खाकी टेरीकॉट	1 नग	1 साल
3.	सलवार सूट दुपट्टा	2 नग	1 साल
4.	साडी टेरीकॉट खाकी	1 नग	1 साल
5.	ब्लाउज टेरीकॉट खाकी	1 नग	1 साल
6.	पेटीकोट कॉटन खाकी	1 नग	1 साल
7.	डर्बी शू ब्राउन	1 जोड	2 साल
8.	रैंक बैज	प्रचलित निर्देशों के अनुरूप	

परिशिष्ट-च

रैंक एवं बैज
(नियम देखें 19 (2))

अ.क्र.	पदनाम/रैंक	बैज ०
1.	नामांकित स्वयंसेवी कंपनी कमाण्डर	तीन सितारे (नीली, लाल पट्टी सहित)
2.	नामांकित स्वयंसेवी प्लाटून कमाण्डर	दो सितारे (नीली, लाल पट्टी सहित)
3.	नामांकित स्वयंसेवी सहायक प्लाटून कमाण्डर	एक सितारा (नीली, लाल पट्टी सहित)
4.	नामांकित स्वयंसेवी कंपनी हवलदार मेजर	दाहिनी कलाई पर चमड़े के पट्टे पर अशोक स्तम्भ
5.	नामांकित स्वयंसेवी कंपनी क्वार्टर मास्टर	दाहिनी भुजा पर तीन सफेद फीत, फीत के उपर सफेद वर्गाकार चिन्ह सहित
6.	नामांकित स्वयंसेवी हवलदार	दाहिनी उपरी भुजा तीन सफेद फीत
7.	नामांकित स्वयंसेवी नायक	दाहिनी उपरी भुजा पर दो सफेद फीत
8.	नामांकित स्वयंसेवी लांस नायक	दाहिनी उपरी भुजा पर एक सफेद फीत

परिशिष्ट-छ**सेवामुक्त प्रमाण-पत्र**
(नियम-27 (2) देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि क्रमांक.....पद..... नाम.....
आत्मज/आत्मजा/पत्नि..... को जिला रक्षित, जिला में
दिनांक को नामांकित किया गया था। जिसे मध्यप्रदेश होमगार्ड एक्ट, 1947 (1947
का पन्द्रहवा) के अधीन बनाए गए नियमों के नियम 30 के खण्ड (दो) के अधीन,
.....(आधार पर उल्लेख करें) के फलस्वरूप के अनुमोदन से
सेवामुक्त किया जाता है।

- 1- चरित्र.....
- 2- प्रशिक्षण की समयावधि.....
- 3- सेवाओं का विवरण (यदि कोई हो).....
- 4- निवास शहर/ग्राम.....पोस्ट ऑफिस.....
- 5- थाना.....जिला.....पिन कोड.....

जिला सेनानी

.....

Bhopal, the 13th April 2016

No.F-2(A)/88/2012/B-4/Two:: In exercise of the powers conferred by section 14 of the Madhya Pradesh Home Guards Act, 1947 (No.15 of 1947), the State Government, hereby, makes the following rules relating to Home Guard Volunteers, namely:-

RULES

1. Short title and commencement.-

- (1) These Rules may be called the Madhya Pradesh Home Guards Rules, 2016.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) **“Act”** means the Madhya Pradesh Home Guards Act, 1947 (formerly Central Province and Berar Act, 1947) (No. 15 of 1947);
- (b) **“Commandant General”** means the Commandant General and the Director General Home Guards appointed by the State Government under section 5 of the Act;
- (c) **“Commandant”** means the Commandant Home Guards appointed by the State Government under section 5 of the Act;
- (d) **“Division”** means Division of revenue in Madhya Pradesh;
- (e) **“Divisional Commandant”** means a Commandant of Home Guards for a revenue Division or part thereof or the Chief Officer of the Home Guards for a Revenue Division or part thereof;
- (f) **“District”** means district of revenue in Madhya Pradesh;
- (g) **“District commandant”** means the commandant of Home Guards for a revenue District or part thereof or the Chief Officer of the Home Guards of a revenue District or part thereof;
- (h) **“District Magistrate”** means the Chief Officer charged with the executive administration of a district and exercising the powers of a Magistrate, by whatever designation the Chief Officer charged with such executive administration is styled;

- (i) **“Police”** shall have the same meaning as assigned to the word in the Police Act, 1861 (No. V of 1861) or under any enactment for the time being in force;
- (j) **“Superintendent of Police”** shall have the same meaning as assigned to the word in the Police Act, 1861 (Act V of 1861);
- (k) **“Strike”** means a total or partial non-performance of duties during training or while detailed on duty as a Home Guard, acting in combination or in a concerted manner or under a common understanding;
- (l) **“State Government”** means the Government of Madhya Pradesh.
- 3. Superintendence over Home Guards:-** The superintendence of the Home Guards throughout the state shall vest in the State Government.
- 4. Commandant General and Director General of Home Guards:-** The administration of Home Guards throughout the state shall vest in an officer styled as the Commandant General and Director General, and in such Inspector General, Deputy Inspector General, Additional Commandant General and other officers as may be prescribed by the State Government.
- 5. Powers of the Director General:-**
- (1) Subject to the provisions of the Home Guards Act and these Rules and to the directions issued by the State Government, the Director General shall have the powers to regulate training, operational duties, organisation, administration, discipline and punishment, procurement, maintenance and scale of issue of uniforms, equipments and stores, arms and ammunition of the Home Guards and shall exercise overall command and control over the Home Guards and its officers.
- (2) The Director General shall have the powers to issue standing orders with the approval of the State Government.
- 6. Nomination of Home Guard Volunteers in different ranks:-** Subject to the directions issued by the State Government, the volunteers may be nominated to other ranks in the following manner:-
- (a) Volunteer Company Commander - by the Inspector General;
- (b) Volunteer Platoon Commander, Volunteer Assistant Platoon Commander - by the Deputy Inspector General and Additional Commandant General;
- (c) Volunteer Nayak, Volunteer Hawaldar - by the Divisional Commandant;
- (d) Volunteer Sainik, Volunteer Lance Nayak - by the District Commandant;

The total sanctioned strength of Home Guard Volunteers per company in all the Districts of Madhya Pradesh shall be 165. The number of Volunteers per company shall be as follows:-

Details of Determinate Number of Volunteers per Company

Designation	Number
Nominated Volunteer Company Commander	01
Nominated Volunteer Platoon Commander	05
Nominated Volunteer Assistant Platoon Commander	05
Nominated Volunteer Company Hawaldar Major	01
Nominated Volunteer Company Quarter Master	01
Nominated Volunteer Section Hawaldar	15
Nominated Volunteer Section Nayak/ Section Lance Nayak	15
Home Guard Volunteers	122
Total	165

7. Transfer of Home Guard Volunteers:-

- (1) A Home Guard Volunteer shall not be transferred to a District Reserve other than his own.
- (2) If a Home Guard Volunteer wishes to be appointed in another District, he shall have to get discharged from his District Reserve. He may, then, apply for enrolment to the District Reserve of Home Guards of another District afresh:

Provided that he otherwise fulfils the eligibility conditions laid down for Home Guard volunteer.

8. Enrolment as a Home Guard Volunteer:- No person shall be enrolled as a volunteer of Home Guards:

- (a) Unless he has completed the age of 18 years but has not completed the age of 28 years as on 1st August of the year of the enrolment:

Provided that if the candidate is a member of Scheduled Cast/Scheduled Tribe or other backward classes, he shall be entitled to a maximum of 5 years relaxation in the upper age limit:

Provided further that a candidate, who is a permanent Government servant should not completed the age of 38 years.

- (b) Unless he is not a citizen of India and the resident of the district in which is seeking enrolment and the domicile of Madhya Pradesh. He shall have to submit a domicile certificate to this effect issued by Competent Authority.
- (c) Unless he has passed 10th standard examination from Madhya Pradesh Board or from a school situated in Madhya Pradesh which has affiliation to a Central Board:

Provided that a candidate of the scheduled tribe shall be eligible if he has passed 8th standard.

- (d) Unless he possesses good moral character as per extant instructions of the Government of Madhya Pradesh:

Provided that the State Government may, for the confidential work relating to internal security, relax the eligibility conditions and home guards may be enrolled accordingly for period and in number to be specified by the State government. Every effort shall be made to keep the identity of the home guards so appointed confidential.

9. **Physical and Other Eligibility Conditions for Enrolment:-**

- (a) Applicant should not be less than 168 centimetres in height. For the Scheduled Tribes category the minimum required height shall be 160 centimetre. In the case of women candidates the height should be not less than 155 centimetres.
- (b) In the case of a male applicant, the chest should not be less than 81 centimetres with an expansion of 05 centimetres. For an applicant from Schedule Tribes category, the chest should not be less than 78 centimetres with a minimum expansion of 05 centimetres.
- (c) Male applicant should neither be flat footed nor should have knock knee. Female applicant should not be flat footed.
- (d) Applicant should not be a dismissed public servant on the ground of misconduct.
- (e) Applicant should not have been discharged from a District Reserve on the ground of misconduct.

10. **Selection Committee for Enrolment of Home Guard Volunteers.-**

The constitution of selection committee for nomination of Home Guards shall be as follows:-

1. District Magistrate or his representative **Chairperson**
(who shall not be an officer below the rank of Additional District Magistrate)
2. Divisional Commandant or his **Member**
equivalent or any senior officer
nominated by DG Homeguards

3. District Commandant Home Guards of **Member Secretary** the concerned district or any other district or his equivalent officer nominated by DG Home Guards.
4. A Company Commander or Platoon **Member** commander of Home Guards of that district or any other district or area.

Note: - One of the members of the Selection Committee shall be from Schedule Castes or Schedule Tribes.

11. Selection Process for enrolment as a volunteer in Home Guards:-

- (1) Wide publicity shall be made about the proposed enrolment programme throughout the district by publishing it in two state level news papers.
- (2) All applications received by the District Commandant shall be scrutinized by the Selection Committee as per the eligibility conditions. Application not meeting eligibility conditions shall be summarily rejected and information of the same shall be prominently displayed on the notice board of office of the District Commandant.
- (3) Representation or Appeal against rejection of application shall be decided by the competent officer, who shall not be lower in rank than a Deputy Inspector General, nominated by the Director General.
- (4) Applicants found eligible shall undergo pre-enrolment tests to be conducted by the Selection Committee as per the standing order on the subject.
- (5) Result shall be declared on completion of selection process with the approval of the competent authority as specified in the standing order.

12. Medical Examination:- The Commandant, Home Guards shall cause the applicants successful in the pre enrolment test to undergo medical examination by the District Medical Board. Applicants declared medically unfit shall be ineligible for enrolment.

13. Character and antecedents verification:- District Commandant shall send character and antecedents verification form of successful candidates to the concerned District Superintendent of Police for necessary character and antecedents verification. Applicants with adverse verification report from Superintendent of Police shall be ineligible for enrolment.

14. Certificate of Enrolment:-

- (1) Home Guard Volunteers shall, at the time of enrolment, shall be given an enrolment certificate in the form appended to these

Rules (**Appendix-A**) under the seal and signature of the appointing authority.

- (2) This certificate shall invariably be carried by a Home Guard volunteer when he is on duty or on training.
- (3) Such a certificate shall be surrendered by the Home Guard volunteer to the District Commandant at the time of discharge.
- (4) On the loss or damage to the enrolment certificate, a duplicate certificate may be issued to him as per the standing order on the subject.

15. Pledge:-

An applicant selected by the selection committee shall take an oath of allegiance to the Constitution of India as laid down in the form of Pledge appended to these Rules. (**Appendix-B**)

16. Resignation:-

- (1) A Home Guard Volunteer before the completion of period in District Reserve, by application in writing in the Form appended to these Rules (**Appendix-C**), addressed to the District Commandant, with a notice period of not less than **thirty days**, may resign from the status of Home Guard Volunteer or Volunteer Officer:

Provided that such resignation shall not take effect until it is accepted by the Appointing Authority, as the case may be, and intimation to this effect is not given to the applicant.

- (2) The District Commandant shall forward the resignation letter with his comments to the officer immediately superior to the appointing authority.
- (3) Failure to report for duty, without previous permission of the District Commandant or intimation of his inability to attend the duty on the plea that a letter of resignation has been submitted, shall amount to absence from duty.

17. Training of Home Guard Volunteers:-

(a) Basic Training of Home Guard Volunteer:-

- (1) Every Home Guard Volunteer, soon after his or her enrolment, shall undergo basic training for a period of 90 working days in various subjects related to protection of persons and property; prevention of crime; maintenance of public order; fire fighting and civil defence in general; and the following subjects in particular :-

- (i) Physical Training and Parade;
- (ii) Unarmed Combat;
- (iii) Weapons Training and Firing Practise;

- (iv) Public Order and Crowd Control;
 - (v) Map Reading;
 - (vi) criminal justice system including law and procedure
 - (vii) Human Rights;
 - (viii) Disaster Management (Natural and Manmade), Civil Defence and Fire Fighting;
 - (ix) Duties and Powers of Home Guards;
 - (x) Information Technology Tools and Applications;
 - (xi) Message Writing;
 - (xii) Guard Duties;
 - (xiii) Traffic Control;
 - (xiv) Field Craft and Tactics;
 - (xv) First Aid;
 - (xvi) Rescue and Flood Relief; and
 - (xvii) Any other subject as may be prescribed from time to time.
- (2) Training shall be followed by an examination. The volunteers failing to pass the examination in prescribed standard shall be given one more opportunity, failing which he shall be liable to be discharged summarily.
- (3) A Home Guard Volunteer shall become a member of the District Reserve of the Home Guards on successful completion of the basic training.
- (b) **Refresher Training:-** Every Home Guard Volunteer shall undergo refresher training for a period of 30 working days every year as prescribed in the standing order on this subject issued by the Director General.
- (c) **Advanced Training:-** An advanced training for a period of 30 working days shall be conducted for the Home Guards of the rank of Assistant Platoon Commander and above. The **advanced course** shall comprise of **lecture and practical work** on the following subjects, namely:-
- (1) Organization and man management;
 - (2) Civil defence measures;
 - (3) Emergency relief operations;
 - (4) Map reading, and automatic weapons;
 - (5) Field Craft and Tactics;
 - (6) Information technology tools and applications;
 - (7) Message writing;
 - (8) Any other subject which may be prescribed by the Director General.
- (d) **Leadership Training:-** Officers of the rank of Assistant Platoon Commander and above shall attend leadership training programme to prepare them for the leadership roles.

Note: - The syllabus and period of basic, refresher, advanced and leadership training shall be in accordance with the standing order.

18. Home Guard Volunteers District Reserve:-

- (1) The Home Guard volunteers in every district shall be in the form of District Reserve Force. The District Reserve shall comprise of as many companies or Volunteers Home Guard Sainiks and Volunteer Officers and permanent officers and staff as may be prescribed by the State Government from time to time.

The current composition of district wise sanctioned force in Home Guard Reserve of the State is appended to these Rules **(Annexure- D)** .

- (2) Every company of the District Reserve, headed by a company commander, shall comprise of 165 Home Guard Volunteers Sainiks divided into three platoons, each headed by a Platoon Commander. Each platoon shall comprise of three or more sections each headed by a section commander of the rank of Assistant Platoon Commander.
- (3) The District Commandant shall be assisted by such number of subordinate officers to him for the purpose of administration, training, discipline and welfare of all the members of District Home Guard Reserve as may be prescribed by the State Government.

19. Uniform and Accoutrements:-

- (1) All Officers and Volunteers of Home Guard shall be supplied on State expense, uniform and accoutrements to be used during execution of duty by them. They shall also wear badges provided according to their respective ranks. The details of the specific items of Uniform and accoutrement, currently being supplied, are appended to these Rules **(Appendix-E)**.
- (2) Members of Volunteer Home Guard shall wear the letter **"M.P.H.G"** (म.प्र.न.से.) on their shoulder strap and officers shall wear, in addition, badges, of rank as the State Government may by order specify. **(Appendix-F)**

- 20. Arms and Ammunition:-** Officers and Volunteer of Home Guard shall be entitled to use and carry small arms, such as rifles and service revolvers and their ammunition, during the course of training or operational duties, in such manner as may be prescribed by the State Government.

21. Calling out of Home Guards:-

The District Magistrate shall be authorised to call out Home Guard Volunteers from the District Reserve for the following purposes:-

- (1) For the protection of life and property from natural calamities or anti-social elements, maintenance of essential services, suppression of disturbance, control and regulation of traffic and assemblies, prevention of crime, assistance to the police or military authorities in the interest of national security, or any other general measure of public welfare.
- (2) The total number of the Volunteer Home Guards so called out shall not be in excess of 90% of the authorized strength of the District Reserve. Call Out up to 100% can only be made with the prior approval of the state Government.
- (3) The Director General or such officer of the Home Guards as may be authorised by him may order for calling out of Home Guards for any area of the State for the performance of any duty connected with training, administration, security of arms, ammunition, civil defence, natural and manmade calamities and general measure of public welfare and interest.

22. Duties of Home Guards:- A Volunteer Home Guard called out on duty under Rule 21 shall be liable to perform any or all of the duties mentioned below:-

- (1) to assist police in traffic management;
- (2) beat and night patrols;
- (3) to assist police in crowd control;
- (4) to assist police in collection of information and intelligence
- (5) to render assistance to the administration in protecting weaker sections of the society and promotion of communal harmony;
- (6) to dispel rumours, allay panic, and organize rescue work and to provide relief during any kind of emergency such as fire, air raid, floods, epidemics, natural and manmade calamities; and
- (7) to discharge any other duty and responsibility as may be directed by the State Government.

23. Conduct:- The following rules of conduct shall be required to be followed by a Home Guard Volunteer,-

- (a) Home Guards volunteers shall perform all such duties and perform all functions as may be assigned to them, with utmost devotion, and shall obey all lawful orders with absolute integrity and devotion;
- (b) All the officers and personnel of Home Guards shall always conduct in a manner like a disciplined uniformed organization;
- (c) Home Guard Volunteer shall not act discourteously in the performance of his official duties and shall not do anything, which denote indiscipline;
- (d) No Home Guards volunteer shall canvass nor otherwise interfere with, nor use his influence in connection with nor take part in, an election to any legislature or local authority.

- (e) No Home Guards volunteer shall accept membership of any political party or any organization which takes part in politics nor shall he take part in any political movement or activity.
- (f) If he commits any act in violation of law which comes in the category of cognizable or non-cognizable offence, he shall inform his District Commandant within 48 hours. In the event of not informing he shall be liable to be discharged from the Home Guards district reserve.
- (g) Home Guard Volunteer shall not remain absent from duty without any reasonable cause.
- (h) Home Guard Volunteer shall not indulge in impersonation at the time of duty or training.
- (i) Home Guard Volunteer shall not take any intoxicating drink or drug nor shall remain under the influence of it at the time of the performance of his duties. He shall not appear in a public place in a state of intoxication. He shall strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force in any area in which he may happen to be for the time being.
- (j) Home Guard Volunteer shall not submit false report in relation to any property, arms - ammunition, kit - clothing and store under his charge.
- (k) Home Guard Volunteer shall not abuse the property, weapons and uniform issued to him.
- (l) Home Guard Volunteer shall promptly abide by the general and special lawful orders issued by the senior officers and shall not disobey deliberately.
- (m) Home Guard Volunteer shall not commit embezzlement of government property given under his custody & protection nor shall he abet for the same.

24. Punishments:- The following punishments may be imposed on the Home Guards volunteers for any acts of misconduct and indiscipline :-

(A)

- (1) Reprimand;
- (2) Censure;
- (3) Extra parade and extra fatigue duty for not more than three days;
- (4) Suspension;
- (5) Premature Discharge from District Reserve;

(B)

Fine not exceeding three days Honorarium;

(C)

Reduction in rank;

(D)

Punishment drill, Extra Guard duty causing fatigue for a period not exceeding 28 days in duration.

25. Powers of Punishment:-

- (a) **District Commandant:-** District Commandant shall hold Orderly Room procedure up to the rank of Lance Naik and Home Guard Volunteers for acts of indiscipline and after affording opportunity of being heard may impose any penalty as mentioned in Rule 24(A).
- (b) **Divisional Commandant:-** Divisional Commandant shall be competent to impose a penalty for any act of indiscipline as mentioned in Rule 24(A) and 24(B) in respect volunteers to a volunteer Hawaldar or Naik or a volunteer below in rank to it.
- (c) **Deputy Inspector General/ Additional Commandant General:-** Deputy Inspector General/ Additional Commandant General shall be competent to impose a penalty for any act of indiscipline as listed in Rule 24(A), 24(B) and 24(C) up to the rank of Platoon Commander or a volunteer below in rank to it.
- (d) **Inspector General:-** Inspector General shall be competent to impose a penalty for any act of indiscipline as listed in Rule 24(A), 24(B), 24(C) and 24(D) up to the rank of Company Commander or a volunteer below in rank to it:

Provided that,

- (1) In case of execution of punishment relating to extra fatigue, extra parade or any other punishment duty, physical fitness of the delinquent shall be kept in view.
- (2) In case of imposition of any penalty, procedure laid down in the instructions shall be followed.
- (3) Copy of the punishment shall be endorsed to immediate senior officer and also to the appointing authority.

26. Appeal:-

- (1) Appeal against every order of punishment shall lie to the officer immediately senior to the officer passing such order.

- (2) Only one appeal shall be admissible against the order passed by the Disciplinary officer. However, revision petition may be filed against such orders to the Director General.
- (3) The Director General may make suo moto revision of the orders passed by the officers subordinate to him.
- (4) The Additional Director General may exercise the powers of Director General if especially authorised to do so by the Director General.
- (5) An appeal shall be filed within 30 days from the date of communication of the punishment order.
- (6) A revision petition may be filed against order passed by an appellate authority within 30 days from the date of communication of the order passed by an appellate authority.
- (7) An appeal or revision petition filed after the limitation period of 30 days shall not be entertained unless there are reasonable and sufficient grounds to establish that it was beyond the normal capacity of the petitioner to file the same within the prescribed time limit

27. Conditions of Service: - (1) Term of Enrolment:-

- (a) On successful completion of training a Volunteer Home Guard shall serve as a Home Guards for a period of six months, which may be extended by the State Government to a total period of not more than 12 months if the State Government considers such extension necessary and shall thereafter serve in the reserve for a period of three years and while in reserve shall be liable to be called out for duty at any time.
 - (b) A volunteer Home Guard shall be eligible for extension of his enrolment on completion of his initial period of enrolment from time to time subject to his satisfactory conduct antecedent, character verification, medical examination, physical fitness and willingness, on the recommendation of District Review committee headed by an officer nominated by the Director General not below the rank of Divisional Commandant. The extension shall be allowed upto the age of 41 years only.
 - (c) A volunteer Home Guard shall be on call out duty for 10 months in a year. Equal opportunity to be called out shall be ensured for each volunteer enrolled on the District reserve. A proper roster shall be prepared and published for this purpose and copy of it shall be made available to volunteers on demand.
- (2) **Discharge of a Volunteer Home Guard:-** A Volunteer Home Guard shall be liable to be discharged in the following conditions:-

- (a) On account of his unwillingness to continue in the District Home Guard Reserve,
- (b) Failure to pass the examination on completion of basic training even after giving one more opportunity,
- (c) Being found unsuitable or physically unfit.
- (d) On completing the age of 41 years.
- (e) On imposition of punishment of discharge.
- (f) On filing of charge sheet in a criminal case or on being detained in police custody for more than 48 hours

The competent authority shall, under the aforesaid conditions, issue the discharge order in Appendix G.

- (3) **Deployment:-** A Volunteer Home Guard when Called Out for duty under rule-21 shall be liable to be deployed at any place in Madhya Pradesh or anywhere in the Country or beyond and even in any foreign country by an special order issued by the State Government. Deployment in foreign country shall normally be made with the consent of the concerned volunteer Home Guard.
- (4) **Allowances:-** A Volunteer Home Guard on Call Out duty or Training, shall receive Honorarium and other allowances as fixed by the Government from time to time.
- (5) **Bar on employment during period of enrolment:-**
 - (a) A volunteer Home Guard when on Call Out duty or training shall not engage himself into any other employment.
 - (b) A volunteer Home Guard when not on duty or training shall be at liberty to engage himself in any job or a vocation under intimation to the District Commandant.

Provided that,-

- (i) No such job or avocation whether full time or part time shall be accepted by him, which may involve conflict of interest with that of the department.
- (ii) He shall not engage himself in any job or avocation unbecoming of his status as a member of District Reserve of Home Guard.

- 28. **Application by Volunteer Home Guard For Employment For other Jobs:-** A Volunteer Home Guard may apply to any other department or selection body for his selection for any post under intimation to his District Commandant. On selection, he shall intimate his District

Commandant alongwith a copy of the appointment letter. He shall also submit resignation letter with a notice of 30 days as per rule-16. However, this period of 30 days may be relaxed on appropriate grounds by the District Commandant on the application of Volunteer Home Guard.

29. Temporary special duty of Home Guard Volunteer and officers to other Departments:-

- (a) The Volunteer Home Guard and Volunteer officers may be deputed to other departments of the State Government and Central Government as per their request with the approval of the State Government.
- (b) The Department borrowing volunteer Home Guards shall pay an amount equal to 150% of all the allowances payable to the Home Guards with a view to reimburse the deferred payments or entitlements to these Home Guards.
- (c) If a Volunteer Home Guard or Officer sustains injuries or meets death during the period of deployment with other department such borrowing department shall also be liable to make payment in respect of death-cum-injury benefits as per the extant instructions.
- (d) Out of the amount received from other Departments in lieu of the deployment of Home Guards 10% amount shall be deposited in the Central Welfare Fund of the Home Guards.
- (e) Home Guards volunteers may be deployed on temporary special duty to other departments of the State Government and the Central Government subject to fulfilling the eligibility criteria. However, willing Home Guard Volunteer officer shall have to apply through proper channel.
- (f) The Director General may recommend the application for deputation to the State Government with his comments as to the feasibility of sparing the applicant officer in the event of selection.
- (g) The period and terms of the temporary special duty shall be regulated by the extant instructions of the State Government on the subject.

30. Surrender of Certificate and other articles:-

- (a) The certificate of enrolment shall cease to have effect whenever the person named in it ceases to be a Home Guards volunteer. A Home Guard on ceasing to be member of the Home Guards District Reserve shall surrender the certificate of his enrolment to the District Commandant within 10 days from the date of such cessation.

- (b) Before discharge, a Home Guard Volunteer shall deliver in good condition all articles of uniform equipment, arms and ammunition, accoutrements and other Home Guards property, if any, in his possession.
- (c) Any fine imposed under these rules may be recovered from the money due to him, but if not possible, shall be recoverable as an arrear of land revenue.

31. Repeal And Savings:-

- (1) The Central Provinces and Berar Home Guard Rules, 1947 (adopted vide Madhya Pradesh Adaptation of Laws order, 1956), are hereby repealed:

Provided that the repeal shall not affect:-

- (a) Anything done or any action taken under these rule before coming into force of these rules;
 - (b) Any right, privilege, obligation or liability accrued or incurred under these rules.
- (2) Anything done or any action taken or any order etc. made, taken or issued under these rules shall be deemed to have been done, made or issued under the correspondence provisions of the rules so repealed.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय शर्मा, उपसचिव.

APPENDIX - A**CERTIFICATE OF ENROLMENT**

[See Rule -14 (a)]

Photo

Name.....

Son / daughter/ spouse of.....

Category.....

Resident of.....

has been enrolled as an officer/a member of the Home Guards under sub-section (3) of section 6 of the Madhya Pradesh Home Guards Act, 1947 (No.15 of 1947). When lawfully on duty, he shall be deemed a member of force and he/she shall have the same powers, protection and privileges and be subject to the liabilities of an officer of police appointed under any enactment for the time being in force.

Date of enrolment.....

Valid up from to

Place.....

Date.....

Appointing Authority

Seal

APPENDIX-B

PLEDGE

(See Rule -15)

I,.....
S/D/W ofsolemnly affirm that I will
be faithful and bear true allegiance to the Constitution of India and that I
will as in duty bound honestly and faithfully serve in the Home Guards and
go wherever I may be ordered and I will observe all lawful commands of any
officer set over me even to the peril of my life.

Signature of deponent.....

Name

Post

Date.....

Place

Duly affirmed before me

Dated.....

Name and Signature of Attesting Officer

Designation.....

APPENDIX - C**RESIGNATION**

[See Rule 16 (1)]

I (Name) No. Rank
 was enrolled as volunteer in the District Reserve Home Guards of
 district on..... (dd/mm/yyyy) under
 sub-section (3) of section 6 of the Madhya Pradesh Home Guards Act
 1947 (No.15 of 1947). Due to my personal reasons, I do not want to
 continue to serve the Home Guards organization and hence wish to
 obtain the discharge certificate from the organization on expiry of ... days
 (not less than 30 days) of this notice i.e. with effect
 from.....(dd/mm/yyyy).

.....

Date :

Name & Signature of Home Guard

No.

Rank

District

APPENDIX-D**MADHYA PRADESH HOME GUARD
VOLUNTEER SANCTIONED POSTS****[See Rule 18 (1)]**

No.	District Name	No. of Company	No. of posts
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jabalpur	4	665
2.	Katni	1	165
3.	Seoni	2	325
4.	Chhindwara	2	325
5.	Balaghat	2	335
6.	Narsinghpur	2	325
7.	Mandla	1	175
8.	Dindori	1	165
9.	Bhopal	5	815
10.	Sehore	3	485
11.	Raisen	2	325
12.	Vidisha	2	325
13.	Betul	2	325
14.	Hoshangabad	2	325
15.	Rajgarh	2	325
16.	Harda	1	165
17.	Indore	4	645
18.	Dhar	2	325
19.	Jhabua	1	160
20.	Alirajpur	1	165
21.	Khandwa	1	160
22.	Burhanpur	1	165
23.	Khargaoan	1	165
24.	Badwani	1	165
25.	Ujjain	4	650
26.	Dewas	2	325
27.	Mandsour	1	165
28.	Ratlam	3	485
29.	Nimuch	1	165
30.	Shajapur	2	325
	Aagar malwa		
31.	Gwalior	4	645
32.	Shivpuri	2	325
33.	Guna	2	320
34.	Datia	2	325
35.	Bhind	2	325
36.	Morena	1	165
37.	Shyampur	1	165

No.	District Name	No. of Company	No. of posts
(1)	(2)	(3)	(4)
38.	Ashoknagar	1	165
39.	Rewa	3	485
40.	Satna	3	485
41.	Sidhi	2	320
42.	Singrouli	1	165
43.	Shahdol	1	165
44.	Umariya	1	165
45.	Anuppur	1	160
46.	Sagar	3	485
47.	Tikamgarh	2	325
48.	Damoh	2	325
49.	Chhatarpur	2	325
50.	Panna	2	325
	Total	97	15800

Summary

Madhya Pradesh Home Guard Sanctioned Company	97
Madhya Pradesh Home Guard Sanctioned Force	15800
Madhya Pradesh Home Guard Confidential Sainik	205
300 posts for confidential Sainik for Balaghat District have been sanctioned by Madhya Pradesh Government Home (Department-C) Deptt., Mantralaya, Bhopal, Letter No. F 19-12/2012/II/C-2, Bhopal Dated 21-11-12	300
Madhya Pradesh Home Guards Grand Total	16305

APPENDIX-E

Uniform Items
[See Rule 19 (1)]

S. No.	Name Of Item	Unit of item	Life of item
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kit Box	1Piece	8 years
2.	Shirt Khaki Terrycot /Cloth	2 Piece	1 year
3.	Trousers Khaki Terrycot/Cloth	2 Piece	1 year
4.	Shirt Khaki Cotton	2 Piece	2 years
5.	Trousers Khaki Cotton	1 Piece	2 years
6.	Boots Ankle Black	1 Pair	2 years
7.	Shoulder Titles	1 Pair	5 years
8.	Cap Badge	1Piece	5 years
9.	Cap Barret	1Piece	1 year
10.	Whistle	1Piece	5 years
11.	Lanyard	1Piece	1 year
12.	Ceremonial Dress	1Piece	2 years
13.	Half Shoe Black	1 Pair	1 year
14.	P.T. Shoes	1 Pair	4 months
15.	Shoe Brush	1Piece	6 months
16.	Shoe Polish	2 Piece	3 months
17.	Hunter Shoes	1Pair	9 months
18.	Socks Khaki	2 Pair	4 months
19.	Mosquito- Net	1Piece	4 years
20.	Daree	1 Piece	3 years

S. No.	Name Of Item	Unit of item	Life of item
(1)	(2)	(3)	(4)
21.	Blanket	2 Piece	5 years
22.	Half Pant Khaki	1Piece	2 years
23.	Woolen Jersey Khaki	1Piece	5 years
24.	Angola Shirt	1Piece	3 years
25.	Great Coat	1Piece	5 years
26.	Rain Coat with cap	1Piece	3 years
27.	Cane	1Piece	5 years
28.	Tiffin	1Piece	5 years
29.	Anklet Web	1Piece	3 years
30.	Leather Belt	1Piece	6 years
31.	Rank Badges	As per laid down instructions	
31	Coat Blazer	1Piece	3 years

WOMEN HOME GUARDS

S. No.	Name Of Item	Unit of item	Life of item
1.	Shirt Khaki Terrycot/ Cloth	1 Piece	1 year
2.	Trousers Khaki Terrycot	1 Piece	1 year
3.	Salwar Suit Khaki with Dupatta	2 Piece	1 Year
4.	Saree Terrycot Khaki	1 Piece	1 year
5.	Blouse Terrycot Khaki	1 Piece	1 year
6.	Petticoat Cotton Khaki	1Piece	1 year
7.	Darby Shoe Brown	1 Pair	2 years
8.	Rank Badges	As per laid down instructions	

APPENDIX-F**Ranks and Badges****[See Rule 19 (2)]**

Sr.	Designation/ Rank	Badges
1.	Volunteer Company Commander	Three stars (with Blue, Red Ribbon)
2.	Volunteer Platoon Commander	Two stars (with Blue, Red Ribbon)
3.	Volunteer Assistant Platoon Commander	One star (with Blue, Red Ribbon)
4.	Volunteer Company Havaldar Major	State Emblem on leather bracelet on right wrist
5.	Volunteer Havaldar Company Quarter Master	Three White Chevrons with square dot on them on right arm
6.	Volunteer Havaldar and equivalent	Three White Chevrons on right upper arm
7.	Volunteer Naik	Two Chevrons on right upper arm
8.	Volunteer Lance Naik	One Chevron on right upper arm

APPENDIX-G**Discharge Certificate**

[see Rule 27(2)]

This is to certify that No.....Rank.....Name.....S/D/W
of was enrolled in the District Reserve of
..... district on..... and was discharged on.....

He is discharged with approval of..... in consequence
of(ground to be mentioned) under Rule 30 (ii) of the Rules framed
under the Madhya Pradesh Home Guard Act, 1947 (No. 15 of 1947).

Character:.....

Periods of training attended:

Particulars of embodied service, if any

Resident of Town/ Village Post Office

Police Station District..... Pin Code

District Commandant

.....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय शर्मा, उपसचिव.